

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
समस्तीपुर एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक 19/3/19

विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा
शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रांश के
तहत कुल- 34284494 /-(तीन करोड़ बयालीस लाख चौरासी हजार चार सौ
चौरानबे) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन एवं पुर्नआवंटन की स्वीकृति ।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-
20-2211001010205 में वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए केन्द्रांश के तहत कुल- 34284494 /-(तीन
करोड़ बयालीस लाख चौरासी हजार चौ सौ चौरानबे) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन एवं पुर्नआवंटन
की स्वीकृति दी जाती है।

- संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-
20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यरत एल0एच0भी0 / ए0एन0एम0 के ही वेतनादि भुगतान हेतु
निर्गत किया जा रहा है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों
का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
- चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा ।
सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम
उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे । इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ
संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय ।
- स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र
संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष
2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर
संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH
Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया
जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया
जायेगा ।
- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन
से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि
का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे।
- इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में
मानव संसाधन 20-2211001010205 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय
वर्ष-2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 58(12)व^०

स्वा0/पटना दिनांक 19/3/19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प0क0)/प्रशाखा पदाधिकारी-12 लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।



मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण

लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

उपशीर्ष-0205-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपत्र कोड- 20-2211001010205


आवंटन एवं पुर्नआवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन (01 01)	जी०या० भत्ता (01 03)	मकान किराया भत्ता (01 04)	परिवहन भत्ता (01 05)	चिकित्सा भत्ता (01 06)	अन्य भत्ता (01 07)	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	वर्दी/पोशाक (13 06)	कार्यालय व्यय (13 01)	विद्युत प्रभार (13 04)	संविदा सेवाएं (28 02)	कुल योग-
1	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	110494	0	0	0	0	110494
2	समस्तीपुर	15764500	14842500	2618500	103000	103000	103000	33534500	92000	229500	98500	180500	39000	34174000
कुल योग		15764500	14842500	2618500	103000	103000	103000	33534500	202494	229500	98500	180500	39000	34284494

कुल योग-34284494/- (तीन करोड़ बयालीस लाख चौरासी हजार चार सौ चौरानबे)

58(12)क्र०
19/3/19



सरकार के विशेष सचिव
४

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	वैतन	जीवन यापन भत्ता	भ्रमण भत्ता	परिवहन भत्ता	विक्रय भत्ता	अन्य भत्ता	योग वैतन एवं भत्ता	विकल्पित भत्ता	विकल्पित भत्ता	कर्मचारी भत्ता	कुल योग
1	वैतन	1216058000	1000000000	600000000	2816058000	2815066000	0	2815066000	992000	15764500	14842500	2618500	103000
2	जीवन यापन भत्ता	1443116000	865000000	565000000	2873116000	2872124000	0	2872124000	992000	14842500	14842500	2618500	103000
3	भ्रमण भत्ता	138665000	100000000	100000000	338163000	338163000	0	338163000	502000	2618500	14842500	2618500	103000
4	परिवहन भत्ता	5546000	5000000	4000000	14546000	14546000	0	14546000	92000	103000	103000	103000	103000
5	विक्रय भत्ता	6378000	5000000	4000000	15378000	15284000	0	15284000	94000	103000	103000	103000	103000
6	अन्य भत्ता	4437000	5000000	4000000	13437000	13304000	0	13304000	133000	103000	103000	103000	103000
7	विकल्पित भत्ता	5000000	5000000	3000000	8389506	8389506	110494	8500000	8500000	34174000	34174000	34174000	34174000
8	कर्मचारी भत्ता	1700000	5000000	3400000	10100000	10100000	0	10100000	0	229500	229500	229500	229500
9	विकल्पित भत्ता	3500000	5000000	5000000	13500000	13500000	0	13500000	0	98500	98500	98500	98500
10	वर्षी प्रायाग	9100000	5000000	5000000	19100000	19100000	0	19100000	0	180500	180500	180500	180500
11	संवैधानिक भत्ता	1000000	1000000	1000000	3000000	3000000	0	3000000	0	39000	39000	39000	39000
12	कुल योग	28300000000	20010000000	12944000000	61254000000	6122484506	110494	6122595000	2805000	34174000	34174000	34174000	34174000

विशेष सारणी, सुधील के पत्रांक-497 दि-18-03-2019 के आदेश में प्राप्त भदवार प्रत्यक्षित को पुनर्आवृत्ति किया जा रहा है, बिना कारण व्यय सारणी में इन सारिणी को गणना संबंधी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि पूर्व में ये सारिणी विश्व सारणी, सुधील को आवृत्त की गई थी। आत: विश्व सारणी, समस्तियुर को आवृत्ति सारिणी निम्नवत् है :-

अभ्यास

शेष उपवर्ष

कुल आवृत्ति सारिणी

वर्तमान नया आवृत्त

पूर्व को आवृत्त

अन्य तक कुल

सामान्य से

मान्य सारिणी

वर्षीय अनुपूरक से

वृत्त उपवर्ष

वृत्त उपवर्ष

कुल योग

उपरोक्त आवृत्त के आदेश में विश्व सारणी, संश्लेषण को 110494/- (एक लाख दस हजार बार सौ बीसपांच रूप) मान लिया विश्व सारणी, समस्तियुर को पुनर्आवृत्त के आदेश में कुल सारिणी-34174000/- (तीन करोड़ इकतीस लाख बीस हजार) आवृत्ति किया जा रहा है।

58(12)क
19/3/19

सरकार के विशेष सारिणी

(Handwritten signature)